10/2024 राजस्थान स्पोर्टिंग कैम्प V/S सरकार

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8-4-2025	पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट उपस्थित। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स उपस्थित। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस के द्वौरान कथन किया कि प्रार्थी को ग्राम कनाई के खसरा नंबर 275 में रकबा 05 बीघा भूमि केम्पिग साईट के लिए जिला कलेक्टर जैसलमेर के आदेश दिनांक 24.07.2000 के द्वारा अपीलाण्ट/प्रार्थी केम्प यूनिट को भूमि आवंटित की गई। जिसका कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किया गया तथा लीज को भी रजिस्टर्ड करवाया गया। प्रार्थी को आवंटित भूमि के खसरा नंबर 215 रकबा 5 बीघा स्थित है। प्रार्थी के नाम आवंटित भूमि को जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा दिनांक 24.08.2000 को निरस्त कर दिया गया क्योंकि तथाकथित भूमि राष्ट्रीय मरू उद्यान की होने से प्रशासन की सद्भाविक भूल से आवंटित की गई है, जिसे निरस्त करना उचित माना। प्रार्थी द्वारा प्रतिवेदन पेश करने के पश्चात् जिला कलेक्टर, जैसलमेर द्वारा अन्य जगह भूमि जो सम के खसरा नंबर 173 रकबा 3 बीघा व खसरा संख्या 174 रकबा 2 बीघा कुल रकबा 5 बीघा भूमि प्रार्थी/अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 25.11.2000 को आवंटन हुई तथा दिनांक 23.08.2001 को लीज डीड को रजिस्टर्ड करवाया गया तब से प्रार्थी का ही कब्जा है एवं उपयोग व उपभोग में ले रहा है। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि प्रार्थी को आवंटित भूमि विकसित करने के उपरान्त भी जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा एक पक्षीय आदेश दिनांक 24.05.2003 को पारित कर आवंटन को निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जो विचाराधीन थी। प्रार्थी ने अपील प्रस्तुत करने के लिए अधिवक्ता श्री तरूण कुमार व्यास को नियुक्त किया था जो बाडमेर में वकालत करते थे। अधिवक्ता श्री तरूण कुमार व्यास के बाडमेर वकालत करने के कारण तथा दिनांक 08.04.2024 को अधिवक्ता श्री तरूण कुमार व्यास के पिताजी बिमार होने के कारण मुम्बई (महाराष्ट्र) में भर्ती होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नही हो सके तथा अपीलाण्ट/प्रार्थी पर्यटन का कार्य होने के कारण जोधपुर शहर से बाहर जैसलमेर में होने से न्यायालय में उपस्थित नही हो सके। अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अदम हाजरी में अपील खारिज होने की सूचना नही दी न ही फोन उठाया तब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में आया तब पता चला कि पत्रावली दिनांक 08.04.2024 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गई है। पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी से श्रीमान के न्यायालय में दिनांक 17.10.2024 को प्रार्थना–पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की गई। अतः रेस्टोर प्रार्थना–पत्र में प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ	

करते हुये पत्रावली को रेस्टोर करने का आदेश प्रदान करावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने बहस के द्वौरान कथन किया कि प्रार्थी को भूमि ग्राम सम के खसरा नंबर 173 व 174 में मिन रकबा क्रमशः 3 बीघा व 2 बीघा कुल पांच बीघा का जिला कलेक्टर, जैसलमेर के आदेश दिनांक 24.07.2000 में वर्णित शर्तो के अनुसार दिनांक 10.04.2001 के द्वारा आवंटन किया गया। जिला कलेक्टर, जैसलमेर के आदेश दिनांक 24.05.2003 के द्वारा आवंटि द्वारा आवंटन की शर्त संख्या 7 का उल्लंघन करने से शर्त संख्या 9 के तहत आवंटन किया गया है। जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2003 पारित करने से पूर्व प्रार्थी को 4 से 5 बार नोटिस भिजवाये गये थे। प्रार्थी बावजुद नोटिस तामिल के जिला कलेक्टर, जैसलमेर के कार्यालय में उपस्थित नही हुये। प्रार्थी द्वारा जिला कलेक्टर, जैसलमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2003 के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर जैसलमेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर जैसलमेर के द्वारा अपील का निर्णय दिनांक 07.05.2010 को पारित किया गया। उक्त निर्णय की अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के द्वारा अपील का निर्णय दिनांक 10.01.2018 को पारित किया गया। जिला कलेक्टर, जैसलमेर द्वारा आदेश दिनांक 24.05.2003 को पारित किया गया। प्रार्थी अनावश्यक रूप से प्रकरण को लम्बा करना चाहता है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी के द्वारा नियुक्त अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण पत्रावली दिनांक 08.04.2024 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई। प्रार्थी द्वारा रेस्टोर प्रार्थना पत्र लगभग 3 माह की देरी के साथ दिनांक 17.10.2024 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा 5 मयाद अधिनियम के में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी का कारण उचित दर्शित नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण को जानबुझकर देरी करना चाहता है। अतः प्रार्थी का रेस्टोर प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने रिबिटल में निवेदन किया कि विद्वान अधिवक्ता की लापरवाही पक्षकार नही भुकतेगा। अतः प्रार्थी का रेस्टोर प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का आदेश प्रदान करावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार सभी पक्षकारो को सुनना आवश्यक है। अपीलाण्ट (प्रार्थी) अधिवक्ता के प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते अपील रेस्टोर करने बाबत् को न्यायहित की भावना के मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र अनुसार निर्णित अपील को पुनः नंबर पर लिया जावे। प्रार्थना–पत्र बाद निस्तारण नंबर से कम हो। पत्रावली दर्ज फैसल होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जाये।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर